ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

बदलती राहें
(पृष्ठ – 02)

स्वरोजगार से स्वावलंबन और आर्थिक उन्नति
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना की उपलब्धि
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – अगस्त 2021 ।। अंक – 01

सतत् जीविकोपार्जन योजना : नई चाह, नई राह

बिहार सरकार द्वारा मद्यनिषेध के क्रियान्वयन का निर्णय लिए जाने के उपरांत सम्यक् विचारोपरांत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के पक्ष में राज्य योजना के अंतर्गत "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की स्वीकृति तीन वर्षों के लिए दिनांक 31.05.2018 को दी गई थी । योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका के माध्यम से किया जा रहा है।

योजना के तहत क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (**Graduation Approach**) अपनाई गयी है जो विश्व बैंक तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं द्वारा लगभग 125 से अधिक देशों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग में लायी जा रही है। वैश्विक गरीबी को समाप्त करने हेतु भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अभिजीत बनर्जी द्वारा यह कार्यनीति परिकल्पित है जिसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं। इससे सम्बंधित उनके शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत अब्दुल लतीफ जमील पोवर्टी एक्शन लैब (**Abdul Lateef Jameel Poverty Action lab**) **J-PAL** एवं इसी कार्यनीति के तहत दस वर्षों से अधिक समय से कार्य करने वाली संस्था " बंधन कोंनागर", "सतत् जीविकोपार्जन योजना" के क्रियान्वयन में जीविका को सहयोग प्रदान कर रही हैं।

इस योजना के कियान्वयन हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जाती है–

1. सामुदायिक संसाधन सेवियों की पहचान एवं उनका प्रशिक्षण।
2. सामुदायिक संसाधन सेवियों के माध्यम से लक्षित परिवारों की पहचान।
3. लक्षित परिवारों के आजीविका सृजन हेतु ग्राम संगठन के माध्यम से सूक्ष्म–निवेश योजना तैयार करना।
4. ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवार को जीविकोपार्जन अंतराल राशि (**LGAF**) प्रदान किया जाता है।
5. लक्षित परिवार को जीविकोपार्जन निवेश निधि (**LIF**) प्रदान किया जाता है।

क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (Graduation Approach)

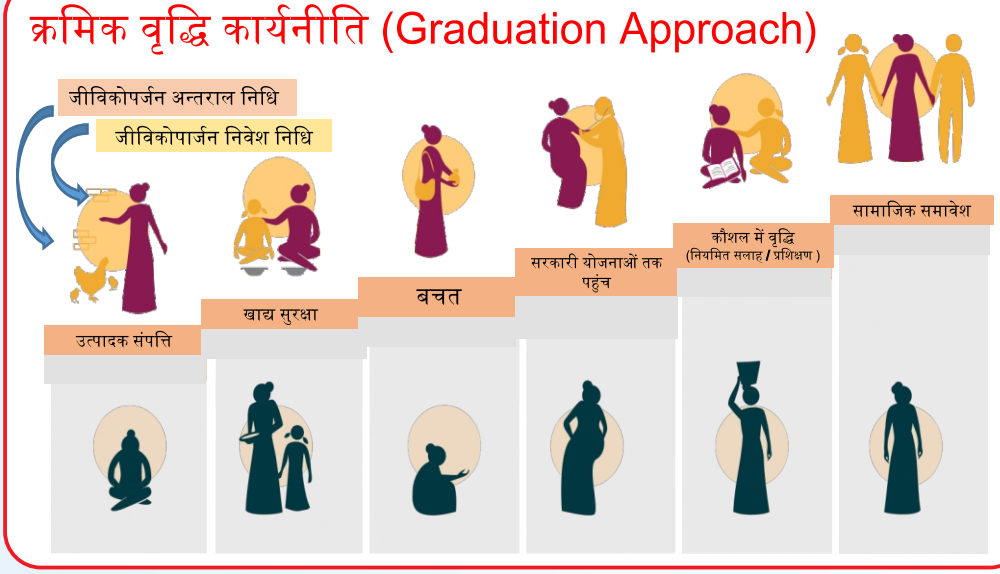

शेभा को मिली सतत जीविकोपार्जन से जीवन की राह

गया जिले के वजीरगंज प्रखंड अन्तर्गत अमैठी गांव की रहने वाली शोभा देवी की कहानी संघर्ष से भरी है। शोभा के पति ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकलने का कार्य करते थे। ताड़ी की बिक्री से जो पैसे मिलते उससे उसका परिवार चलता था। दुर्घटनावश करेंट लगने से शोभा देवी के पति की मृत्यु हो गई। गरीबी, कम उम्र में शादी और फिर विधवापन : सारी दिक्कतों का सामना करते हुए आज शोभा देवी अन्य लोगों के लिए हैसले की मिशाल हैं। वह अभी केवल 27 वर्ष की ही हैं। जीविका के माध्यम से सतत् जीविकोपर्जन योजना का लाभ लेकर कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने घर में ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाती हैं। इसी दुकान से होने वाली आमदनी के सहारे बह अपने बच्चों और सास की देखभाल कर पा रही है।

ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु अति निर्धन परिवार की पहचान की जा रही थी तभी ग्राम संगठन की सर्वे टीम ने शोभा देवी का नाम सूची में शामिल किया। ग्राम संगठन की दीदियों की जांच एवं बैठक में अनुमोदन के उपरान्त शोभा देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित कर लिया गया।

सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इन्हें स्वरोगार उपलब्ध कराया गया है। योजना के अंतर्गत प्रगति जीविका ग्राम संगठन के द्वारा बीस हजार रुपए की आरंभिक पूंजी के सामान के साथ नवंबर, 2019 में शोभा देवी की किराना दुकान खुलवा दी गई। दुकान की पूंजी बनी रहे इसके लिए भी योजना अंतर्गत सात माह तक घर के खर्च में सहायता के लिए उसकि खाते में हजार रुपया प्रति महीना भेजा गया। शेभा कहती हैं ' 'जीवका और इस योजना ने रोजगार का अवसर देकर मेरे जीवन में उम्मीद की किरण जगा दी है''।

बदलती राहें

वृजबिहारी बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड अंतर्गत कैथर कला गाँव के रहने वाले हैं। गाँव में फूस का मकान था। पत्नी रामवती देवी के साथ किसी तरह जीवनयापन करते थे। लगन के दिनों में शादी–व्याह में ढोल बजाकर जो भी मेहनताना मिलता था उससे किसी तरह दो वक्त का भोजन इनके परिवार को नसीब हो पाता था। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव के बाद इनके जीवन में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। 6 अगस्त 2018 को गुलाबी जीविका महिला ग्राम संगठन ने इनकी माली हालात को देखते हुए इनकी पत्नी रामावती का नाम योजना के तहत लाभ देने के लिए अनुशंसित किया। इनकी इच्छा के अनुरूप इन्हें ग्यारह हजार रुपये की राशि बकरी पालन के लिए मिली। इस राशि से इन्होने 3 बकरिया खरीदी। तीन बकरी से शुरू हुआ कारोबार 16 बकरियों तक पहुंचा। इसमें से चार खस्सी बेचकर इन्होने 25 हजार रूपया शुद्ध मुनाफा कमाया। बकरी का दूध बेचकर भी मुनाफा कमा रही हैं। बकरियों और खस्सियों की देखभाल करते हुए उन्होने अपना व्यवसाय दुगुना किया है।

रामावती बताती है कि 6 बकरियों की हवा लगने से मौत के बाद एक बार तो लगा कि फिर से हमारे बुरे दिन वापस आ जायेंगे। हमने बाकी बची बकरियों एवं उनके बच्चों को खुद के साथ बिछावन पर सुलाया और काफी सेवा की। तब जाकर शेष बचा सकी। इस काम में जीविका का सहयोग मिलने से वे काफी खुश हैं। लेकिन जब सतत जीविकोपार्जन योजना से जीविका दीदियों ने मुझे लाभ दिलाया तब मैं और मेरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब हमारा परिवार जीविका और सतत् जीविकोपार्जन योजना का आभारी है। आज इनके पास 3 बकरी, 6 खस्सी एवं तीन पाठा है। ग्यारह हजार से शुरू हुआ बकरी पालन का व्यवसाय अब चालीस हजार तक पहुँच गया है।

नसीबुल को मिली खुशियों की सौगात

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के मोहनपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बोरिया गांव निवासी नसीबुल खातुन पहले मजदूरी और दूसरों की बकरियों को चराने का काम करती थीं। उनके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थी।

नसीबुल खातुन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 2019 में उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया। नसीबुल खातुन को जीविकोपार्जन विशेष निवेश निधि की प्राप्ति हुई और इस पैसे से उन्होंने किराना का दुकान प्रारंभ की। धीरे–धीरे उनका व्यवसाय अपना आकार लेने लगा। वर्तमान समय में नसीबुल खातुन को प्रतिमाह औसतन 5 हजार रूपये की आमदनी हो जाती है। अब नसीबुल के बेटे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। अभी उनका बेटा इंटर में पढ़ रहा और नसीबुल को सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलने लगा है। नसीबुल खातुन बताती हैं कि इस योजना के कारण उनकी जिन्दगी में खुशियां ही खुशियां है।

नसीबुल खातुन अपने आंखों में भविष्य की कई तस्वीरों को सजा कर रखी हुई हैं। नसीबुल बताती हैं कि उनका इरादा भविष्य में अपने किराना की दुकान का विस्तार करना है। उसका कहना है कि और अधिक मदद मिले तो वे और बेहतर परिणाम दे सकती हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना के बारे में खातुन कहती हैं कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर सफलता जरूर मिलती हैं। अब वे बकरी पालन भी कर रही है।

स्वरोजगार से स्वावलंबन और आर्थिक उन्नति

मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखण्ड अंतर्गत झिकुली पंचायत के चपनिया गाँव की निवासी फुललता देवी। तंगहाली से गुजर रहे परिवार के लिए पहले पैसे की जरुरत पड़ने पर महाजन से पैसा उधार मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे में कारोबार के लिए पैसा जुटाने की बात सोचना भी मुश्किल था ।

उनके पति संतोष दास एक पैर से दिव्यांग और अधिक श्रम वाला काम करने में असमर्थ हैं। गरीबी के कारण दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाते थे। फुललाता देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए जीवन ज्योति जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा इनको बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब के रूप में चयन किया गया।

ग्राम संगठन द्वारा 20000 रुपये की सामग्री मई 2020 में खरीदकर कर इन्हें दी गयी और इनकी किराना दुकान का सामूहिक उद्घाटन किया गया। अभी इस किराना दुकान से इन्हें डेढ़ सौ रुपए से दो सौ रुपए तक की प्रतिदिन कमाई हो जाती है। दुकान चलाने में इनके पति मदद करते हैं। जीविकोपार्जन के अन्य स्रोत की तलाश कर उन्होंने दुकान की कमाई से एक बकरी भी खरीदी। तीन माह पहले इनकी बकरी ने दो बच्चें दीए। दोनों बच्चा बकरा (पाठा) ही हैं। आमदनी के पैसे का पूरा इस्तेमाल दुकान में पूँजी लगाने में खर्च करती हैं। इसके अलावा वह अपने बचत खाता में कुछ पैसे जमा भी करती है। वह अपने समूह में भी प्रति सप्ताह बचत करती है तथा समूह से अपनी जरूरत के मुताबिक लेन–देन किया करती है। अब उन्हें रोजी–रोटी के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। आज वह अपने परिवार के साथ खुश हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना की उपलब्धि

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत तहत अनुमानित एक लाख परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित किंचित उपयुक्त गतिविधियों से जोड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध में अबतक कुल 1,25,261 अत्यन्त निर्धन परिवारों का चयन किया जा चुका है एवं 95,587 परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जोड़ा गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित परिवारों के क्षमता वर्धन ,आजीविका संवर्धन एवं सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव हेतु 3288 मास्टर संसाधन सेवियों (MRP) का चयन किया गया है। राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्रत्येक जिले के लिए दो जिला नोडल कर्मी तथा कुल 250 प्रखंड स्तरीय नोडल पर्सन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यरत हैं।

चयनित परिवारों के साथ ही एम.आर.पी तथा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु बंधन कोंनागर के सहयोग से प्रशिक्षण संसाधन सामग्री विकसित की गयी। इसके अनुरूप प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, फ्लिप चार्ट एवं डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री के माध्यम से मास्टर संसाधन सेवियों एवं चयनित परिवारों को विभिन्न modules पर प्रशिक्षण दिये गए हैं। अबतक 3254 मास्टर संसाधन सेवी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। चयनित परिवारों में से 98 हजार परिवारों को Confidence Building and Enterprise Development (CB&ED) हेतु प्रशिक्षण दिया गया है एवं 71 हजार परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं एतद् विषयक सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा 27 हजार परिवारों को पशुपालन विषयक रख–रखाव एवं घरेलु उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

जीविका संपोषित ग्राम संगठनों द्वारा 95,587 चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि भी उपलब्ध कराई गयी है। इस राशि का उपयोग खाद्य सुरक्षा, इलाज, गृह मरम्मती के अतिरिक्त साइकिल, अन्य जरूरी सामग्री एवं सम्पत्ति की खरीद हेतु किया जा रहा है।

जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना (Livelihoods Micro Planning) के आधार पर ग्राम संगठनों द्वारा 95,587 चयनित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है एवं इन परिवारों को प्रशिक्षित कर सूक्ष्म व्यवसाय, गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन तथा कृषि से सम्बंधित गतिविधियों से जोड़ा गया है।

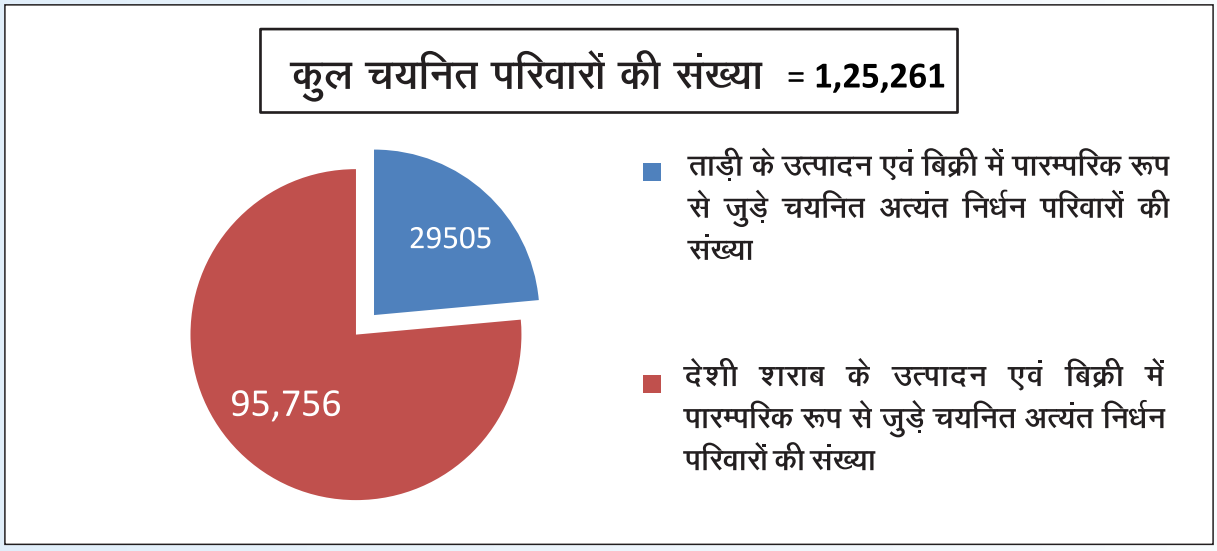

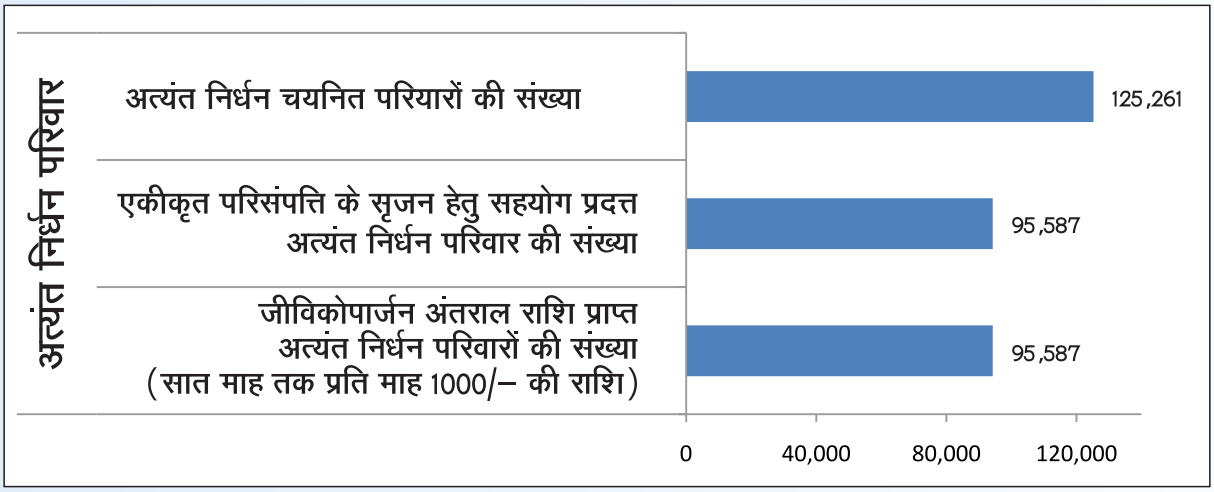

संपादकीय टीम
- श्री ब्रज किशोर पाठक – विशेष कार्य पदाधिकारी
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार